राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

सं. एफ 2(1)डीओपी/ए–II/2014 जयपुर, दिनांक : 17.07.2014

1 समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
2 समस्त विभागाध्यक्ष(संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)

परिपत्र

राजस्थान के विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विभिन्न विभागों के अधीन सृजित पदों पर पर्याप्त कार्मिकों का पदस्थापन नहीं होने तथा पदों के रिक्त रहने के कारण एवं विनिर्दिष्ट क्षेत्र में निवास करने वाले जनजाति व्यक्तियों के विकास हेतु कियान्विती की जा रही योजनाओं का प्रभावी कियान्वयन कराये जाने के उद्देश्य से कार्मिक(क–2)विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28.01.2014 के द्वारा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 जारी किये गये हैं। उक्त नियम बनाये जाने के परिणामस्वरूप विनिर्दिष्ट क्षेत्र हेतु स्वीकृत अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती इन नियमों के अन्तर्गत करने के आशय का प्रावधान विविध सेवा नियमों में अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)कार्मिक/क–2/2014 दिनांक 04.03.2014 द्वारा किया गया है। अतः राज्य के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में सभी अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के कार्मिकों के लिए उक्त नवीन नियम अधिमान्य होंगे:–

1 उक्त नवीन नियम, 2014 के नियम 6 के उप नियम(3) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विभिन्न विभागों के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सृजित पदों पर कार्यरत/पदस्थापित अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के सभी कर्मचारियों से उनके नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा उन्हें सूचित किये जाने की तिथि से 1 माह की अवधि के भीतर इस आशय का विकल्प पत्र लिया जावे कि वे भविष्य में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अन्तर्गत ही कार्यरत रहना चाहते है अथवा विनिर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर कार्य करना चाहते हैं। यह कार्य समुचित प्रचार–प्रसार उपरान्त 1 माह में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

2 राज्य के विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कार्यरत अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के जो कर्मचारी उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प पत्र देते हैं ऐसे कार्मिकों के स्थान पर वैकल्पिक कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण कर लेने तक उनका स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति विनिर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर नहीं की जावे। जो कर्मचारी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में रहने का विकल्प देते हैं उनका कभी भी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर स्थानान्तरण/पदस्थापन नहीं किया जायेगा।

3 जो कार्मिक अन्य जिले में पदस्थापित है तथा अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापन चाहते हैं उनसे इस बाबत प्रार्थना–पत्र लिया जाकर प्राथमिकता से अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित किया जावे।

4 सभी विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की रिक्तियों के विरूद्ध पदस्थापन हेतु भर्ती की कार्यवाही तुरन्त करे। वित्त विभाग(आय–व्ययक अनुभाग) के परिपत्र क्रमांक एफ 9 (1) वित्त–1(1)आ.व्य./2010 दिनांक 29.12.2010 के अनुसार दिनांक 01.04.2010 के पश्चात् हुई रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु उक्त तिथि से पूर्व के रिक्त पदों पर वित्त विभाग और कार्मिक विभाग की सहमति लिया जाना आवश्यक था।

अतः सभी विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे विनिर्दिष्ट क्षेत्र में उनके अधीन अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की रिक्तियों की गणना तदनुसार करेंगे।

5 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में भर्तियों के मामलों में कार्मिक(क–2)विभाग द्वारा दिनांक 16.06.2013 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विनिर्दिष्ट क्षेत्र की समस्त रिक्तियों को स्थानीय निवासियों द्वारा भरा जायेगा। इसके लिए सभी विभाग अलग से रोस्टर रजिस्टर संधारित करेंगे।

6 इस परिपत्र को विभाग में लागू करने हेतु सभी विभाग एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे, जो कि इस प्रकिया को पूर्ण करना सुनिश्चित करेगा। उपरोक्तानुसार नियुक्त किये गये नोडल अधिकारी का पूर्ण विवरण आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को भिजवाया जाये, जो कि उक्त नियमों के परिपेक्ष्य में विभिन्न सेवाओं द्वारा की गई नियुक्तियां/पदस्थापन की प्रभावी मोनेटरिंग करेंगे।

7 आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर इस परिपत्र की समस्त विभागों में अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षणीय अधिकारी होंगे। वे समय–समय पर राज्य सरकार को इस बारे में प्रगति से अवगत करायेंगे।

अतः सभी संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि कृपया उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करें।

(राजीव महर्षि)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्यपाल महोदया, राजस्थान सरकार।
2 निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3 सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर।
4 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5 सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6 महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7 आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास, विभाग, उदयपुर।
8 पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
9 रक्षित पत्रावली।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव, कार्मिक

15/2014